संख्या: 38/2015/3348प्रो0/51-2015-14(14)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर , 2015

विषय:- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-214/प्रोटोकाल-विविध/2014, दिनांक 19 फरवरी, 2015, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित संलग्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि **रू0 1,69,402/- (रूपये एक लाख उनहत्तर हजार चार सौं दो मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है ।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2053- जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर -093-जिला स्थापनायें -03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक :25 मूलदेयक

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 38/2015/3348(1)प्रो/51-2015-14(14)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, वाराणसी ।
4- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम, वाराणसी।
6- दास ट्रावेल्स, 10-ए द मॉल, वाराणसी कैण्ट-221002 को उनके पत्र दिनांक 15-12-2014, 29-12-2014 के क्रम में सूचनार्थ।
7- शारदा टूर एण्ड ट्रेवल्स, एस 4/50 डी, ताजपुर रोड़ महाबीर मंदिर, आडरली बाजार, वाराणसी को उनके पत्र दिनांक 22-12-2014, 26-12-2014 के क्रम में सूचनार्थ
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।